न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम.गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी 3061–तीन/13 विरुद्ध आदेश दिनांक 14.06.2013 पारित द्वारा तहसीलदार पवई जिला पन्ना प्रकरण क्र. 25/अ–6/11–12

कमलाबाई पति कौशल प्रसाद सोनी उम्र 58 वर्ष पेशा–गृहकार्य
निवासी– कैलवारा रोड इन्द्रगांधी वार्ड क. 3 मोहन नगर कटनी
जिला कटनी (म.प्र.) .....**आवेदिका**

विरुद्ध

श्रीमती आशा सोनी पुत्री स्व0 किशोरी लाल सोनी उम्र 37 वर्ष
पेशा–गृहकार्य, निवासी गणेश प्रसा मसुरहा वार्ड आजाद चौक
पुरानी बस्ती कटनी तहसील व जिला कटनी (म.प्र.) .....**अनावेदिका**

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर.डी. शर्मा
अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर.एस. सेंगर

आदेश

(आज दिनांक 07/12/17 .....को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार पवई जिला पन्ना के प्रकरण क्र. 25/अ–6/11–12 में पारित आदेश दिनांक 14.06.2013 के विरुद्ध म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका आशा सोनी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रश्नाधीन ग्राम मुरीच पटवारी हल्का नं. 45 तहसील पवई जिला पन्ना स्थित प्रश्नाधीन भूमि पर फोती नामांतरण हेतु आवेदन दिया गया। इसके अतिरिक्त आवेदिका द्वारा भी प्रश्नाधीन भूमि पर संहिता की धारा 110 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन दिया गया जो प्रकरण क्र. 16/अ–6/11–12 पर पंजीबद्ध हुआ। तहसीलदार ने अपने अंतरिम आदेश दिनांक 21.09.2012 द्वारा दोनों प्रकरणों को संलग्न किए जाने के आदेश दिए। इसके उपरांत अनावेदिका द्वारा आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के तहत आवेदन प्रस्तुत कर अपने एक मात्र पुत्र प्रथम सोनी को अनावेदक के रूप में पक्षकार बनाये जाने का आवेदन दिया। तहसीलदार ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत अपने आलोच्य अंतरिम आदेश दिनांक 14.06.13 द्वारा उक्त आवेदन स्वीकार किया एवं पक्षकार बनाये जाने के आदेश दिए। इस आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3. प्रकरण में दोनों पक्षों की ओर से लिखित तर्क प्रस्तुत किए गए हैं।

4. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार ने अपने आदेश में जिला न्यायाधीश कटनी के न्यायालय के हिन्दू विवाह अधिनियम के प्रकरण क्र. 7011 आदेश दिनांक 20.05.2011 के पैरा 7 में निकाले गए यह निष्कर्ष कि "यह तो निर्विवादित है कि आवेदक तथा अनावेदिका आपस में विवाहित पति पत्नी हैं और उनके संसर्ग से एक पुत्र का जन्म हुआ है जो अनावेदिका के साथ निवास कर रहा है" अतः याचिकाकर्ता विनोद सोनी जो अनावेदिका का पति था, के द्वारा तृतीय अपर जिला न्यायाधीश कटनी के न्यायालय में धारा 13 हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत आवेदन जिसमें आवेदक एवं अनावेदिका के संसर्ग से बालक का जन्म हुआ है, के प्रकाश में अनावेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार करते हुए दावा में पक्षकार बनाये जाने के आदेश दिए हैं। तहसीलदार के उक्त निष्कर्ष में कोई न्यायिक एवं विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। प्रकरण का निराकरण गुण–दोष पर अधीनस्थ न्यायालय में होना है।

जहाँ उभयपक्षों को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है। दर्शित परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप यह निगरानी निरस्त की जाती है।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य,
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर